प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पी0सी0डी0एफ0 के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु ऋण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-615-17/वित्त सम्भाग-3/बजट/2019-20, दिनांक- 24 अक्टूबर, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुग्ध विकास विभाग के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक ''6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पी0सी0डी0एफ0 के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति को शासनादेश संख्या-788/53-2-19-2(48)/2014, दिनांक 17 जुलाई, 2019 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। द्वितीय किश्त के रूप में पी0सी0डी0एफ0 के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) का ऋण पी0सी0डी0एफ0 को स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज आदि अर्जित होता है, उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि वेतन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसी मद में ही [illegible]का व्यय अनुमन्य होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

(4) ऋण के रूप में पी0सी0डी0एफ0 को उपलब्ध कराई जा रही धनराशि हेतु ऋण की शर्तो आदि का निर्धारण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-4-857/दस-2016-6-1965, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आहरण कर [illegible]ी किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही ऋण की धनराशि की अदायगी पी0सी0डी0एफ0 द्वारा अधिकतम 05 वर्षों के अन्दर मूलधन एवं ब्याज सहित सुनिश्चित की जायेगी।

(8) ऋण की उक्त धनराशि पर 18.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

(9) नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई किश्त कालातीत होने पर ऋण की स्वीकृत आदेश में निर्धारित दर पर ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितथ(डिफाल्ट) होने पर निर्धारित दर पर ही ब्याज देय होगा अर्थात ब्याज की दरों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगा। ब्याज की दण्डात्मक दर मूलराशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक लागू रहेगी।

(11) स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-एक के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

(12) उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक **''6404-डेरी विकास के लिए कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-05-कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण-30-निवेश/ऋण''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1-991/दस-2019, दिनांक- 05 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 21/2019 /1340(1)/53-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29 पार्करोड, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-3/नियोजन अनुभाग-3
8- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
9- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in